मै0 श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री पद्म सिंह एवं श्री हरीश चन्द्र जोशी पुत्र श्री नन्दा बल्लभ जोशी ग्राम करूली तहसील व जनपद बागेश्वर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 04.05.2022 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री पद्म सिंह एवं श्री हरीश चन्द्र जोशी पुत्र श्री नन्दा बल्लभ जोशी ग्राम करूली तहसील व जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड सोप स्टोन माईनिंग प्रोडक्ट (4.819 है0 क्षेत्रफल) खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 यथासंशोधित के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र टाईम्स ऑफ इण्डिया एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 01.04.2022 के अंकों में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 04.05.2022 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई थी तदक्रम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 04.05.2022 को 11:00 बजे परियोजना स्थल ग्राम करूली तहसील व जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी के सहायक वैज्ञानिक अधिकारी श्री हरीश चन्द्र जोशी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी बागेश्वर, श्री चन्द्र सिंह इमलाल तथा अन्य उपस्थित कार्मिकों का स्वागत किया गया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था काग्नीजेन्स रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के श्री अखिल कुमार द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रस्तावित सोप स्टोन माईनिंग परियोजना से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त तथा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार एवं राज्य को राजस्व की वृद्धि होगी। प्रस्तावित खनन परियोजना क्षेत्र की मिट्टी की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया है परिणामों के आधार पर स्पष्ट हुआ कि प्रस्तावित क्षेत्र की मिट्टी किसी भी प्रदूषणकारी स्त्रोतों से दूषित नहीं है। मानसून के पहले 05 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की गयी तथा प्राप्त परिणामों के अनुसार वायु की गुणवत्ता आवासीय ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर है। प्रस्तावित खनन क्षेत्रान्तर्गत भूजल के नमूनों की जांच की गयी जो भौतिक–रासायनिक प्रचालन के पानी के मानकों के लिए निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है।

क्रमशः–2

खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबन्धन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ प्रस्तावित परियोजना पर किसी भी महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव के बिना आगे बढ़ सकती है। प्रस्तावित क्षेत्र में दिन व रात में शोर के स्तर की जांच की गयी जो सीपीसीबी की निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर है। खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई भी सार्वजनिक भवन एवं स्मारक आदि नहीं हैं जिससे खनन गतिविधियों में कोई विस्थापन सम्मिलित नहीं किया गया है। क्षेत्र में खनन गतिविधियों का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक वातारण पर सकारात्मक है। पर्यावरण के क्षेत्र में जीव– जन्तुओं एवं वनस्पतियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पडेगा। खनन सामग्री के परिवहन किये जाने हेतु मात्र कम प्रदूषण करने वाले वाहनों का ही प्रयोग किया जायेगा। खनन गतिविधियों में नियोजित स्थानीय लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार होगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत पेड़ों की कटाई नहीं होगी। खनन परियोजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्राथमिक चिकित्सा के रूप में प्रदान की जायेगी। मानसून से पूर्व खनन क्षेत्रान्तर्गत के गढढों में अपशिष्ट पदार्थ भरकर समतलीकरण किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना में खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबन्धन के प्रभावी कार्यान्वयन होने की दशा में खनन क्षेत्र में जीव जन्तुओं और वनस्पतियों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियां एवं टीका–टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। उपस्थित टीका टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत है:–

1. श्री मोहन सिंह खेतवाल ग्राम करूली बागेश्वर– श्री खेतवाल द्वारा उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए कहा गया कि ग्राम करूली अन्तर्गत खड़िया खनन के संबंध में पूर्व में कोई आम बैठक आदि नहीं हुई है। प्रस्तावित परियोजना के संबंध में कुछ लोग ही समहत हैं। परियोजना गांव के नीचे अथवा ढालू स्थल में प्रस्तावित की गयी है। जिससे गांव को पूर्ण खतरा होने की सम्भावना है। गांव में छोटे–छोट खेत हैं भूमिधरों को ज्ञात ही नहीं है कि उनके खेतों में परियोजना प्रस्तावित की जा रही है। प्रस्तावक द्वारा अन्य स्थल (तोक) पर खनन के नाम से ग्रामीणों से अनापत्ति ली गयी है यदि इन खेतों में खनन कार्य शुरू होता है तो ग्रामीण कहाँ जायेंगे। हम इस प्रस्तावित परियोजना से सहमत नहीं है।
2. श्री जगत सिंह खेतवाल ग्राम करूली बागेश्वर – श्री जगत सिंह द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना रोजगार के दृष्टिगत सही है। परियोजना के स्थापित होने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। खड़िया खनन आवश्यक है।
3. श्री प्रमोद सिंह खेतवाल (वन पंचायत सरपंच) ग्राम करूली बागेश्वर– श्री खेतवाल द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन योजना से बेरोजगारी दूरी होगी। खड़िया खनन से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
4. श्री उत्तम सिंह खेतवाल ग्राम करूली बागेश्वर– श्री उत्तम सिंह द्वारा कहा गया कि भूमि हमें अपने पूर्वजों से विरासतन रूप में प्राप्त हुई है जो हमारे बच्चों की एक मात्र आजीविका का साधन है। प्रस्तावित खनन स्थल सिखकने वाला है जहां पर खनन कार्य होने से सम्पूर्ण गांव को खतरा उत्पन्न हो सकता है एवं प्रस्तावित स्थल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी खनन कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रस्तावित खनन योजना से असहमति व्यक्त की गयी।

क्रमशः–3

5. श्री किशन सिंह पुत्र श्री हर सिंह ग्राम करूली बागेश्वर– श्री किशन सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि हमें प्रस्तावित परियोजना असहमति व्यक्त की तथा कहा गया कि खड़िया खनन नहीं होना चाहिए।

6. श्री मोहन सिंह खेतवाल ग्राम करूली बागेश्वर– श्री खेतवाल द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना स्थल स्लिप होने वाली है। योजना में प्रस्तावित क्षेत्र जानवरों के चारे हेतु मात्र एक साधन है। यदि यह भूमि खड़िया खनन में चली जायेगी तो हमारे जानवर चारे हेतु कहां जायेंगे। हमे खनन से आपत्ति है।

7. श्री हयात सिंह खेतवाल ग्राम करूली बागेश्वर– परियोजना के प्रस्तावक द्वारा ग्राम रिखाड़ी के नाम पर ग्रामीणों से अनापत्ति ली गयी है परन्तु उनके द्वारा फर्जी तरह से ग्राम करूली में परियोजना प्रस्तावित की जा रही है। ग्राम के पूर्व–पश्चिम में पहले से खनन कार्य चल रहा है। यदि उनके गांव में भी खनन परियोजना प्रस्तावित की जाती है तो ग्रामीण कहां जायेंगे। पूर्व से संचालित खड़िया खनों द्वारा खनन कार्य उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खेतों का निर्माण नहीं किया गया है। हमें प्रस्तावित परियोजना से आपत्ति है।

8. श्री नन्दन सिंह पुत्र श्री कुशल सिंह ग्राम करूली बागेश्वर– श्री नन्दन सिंह द्वारा कहा गया कि परियोजना से सम्भवतया क्षेत्र की बेरोजगारी दूरी होगी परन्तु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से गांव में खनन कार्य सही नहीं है। हमें खनन से आपत्ति है।

9. श्री बलवन्त सिंह खेतवाल पुत्र श्री मान सिंह ग्राम करूली बागेश्वर– श्री खेतवाल द्वारा अवगत कराया गया कि रोजगार के दृष्टिगत प्रस्तावित परियोजना सही है। हमें परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।

10. श्री खड़क सिंह खेतवाल ग्राम करूली बागेश्वर– श्री खेतवाल द्वारा कहा गया कि जो लोग गांव से पूर्व में पलायन कर चुके हैं उन्हीं लोगों के द्वारा परियोजना का विरोध किया जा रहा है। रोजगार के दृष्टिगत परियोजना स्थापित होनी चाहिए तथा खनन परियोजना के स्थापित होने से कोई आपत्ति नहीं है।

11. श्री दीवान सिंह खेतवाल ग्राम करूली बागेश्वर– श्री दीवान सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना से गांव के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। खनन कार्य निर्धारित मानकों एवं आवासीय भवनों से निर्धारित दूरी पर बिना कोई नुकसान पहुंचाये स्थापित होती है तो हमें खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।

12. श्रीमती राधिका देवी ग्राम करूली बागेश्वर– श्रीमती राधिका देवी द्वारा प्रस्तावित परियोजना में अपनी आपत्ति दर्ज की गयी।

13. श्री दीवान सिंह खेतवाल पुत्र श्री भूपाल सिंह ग्राम करूली बागेश्वर– श्री दीवान सिह द्वारा निवेदन किया गया कि जिन भूमिधारों द्वारा अपने खेतों में खड़िया खनन हेतु अनापत्ति दी गयी है उन्हीं के खेतों में खनन कार्य हो किन्तु हम अपने खेतों से मशीनों व खच्चरों को नहीं जाने देंगे। प्रस्तावित परियोजना से हमें आपत्ति है।

14. श्री कुन्दन सिंह खेतवाल ग्राम करूली बागेश्वर– द्वारा अवगत कराया गया कि गांव में बेरोजगारी है परियोजना से ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। खनन कार्य होना चाहिए तथा खनन परियोजना का समर्थन किया गया।

15. श्री लाल सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह ग्राम करूली बागेश्वर– श्री सिंह द्वारा कहा गया जिन गांवों में खनन कार्य हो रहे हैं

क्रमशः–4

वहां पर स्थानीय लोगों को योजनाओं में कोई रोजगार प्राप्त न होकर बाहर के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है यदि प्रस्तावित परियोजना से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त कराये जाते हैं तो हम खनन कार्य से सहमत हैं।

16. श्री चन्दन सिंह खेतवाल पुत्र श्री नन्दन सिंह ग्राम करूली बागेश्वर– श्री चन्दन सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि वह प्रस्तावित लीज क्षेत्रफल का भूमिधर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सुरक्षा के दृष्टिगत हर बात स्पष्ट होनी चाहिए ताकि खनन होने उपरान्त कोई विवाद उत्पन्न न होने पाय।

17. श्री दर्शन सिंह खेतवाल ग्राम करूली बागेश्वर– श्री दर्शन सिंह खेतवाल द्वारा अवगत कराया गया कि वह प्रस्तावित लीज क्षेत्रफल का भूमिधर है। प्रस्तावित परियोजना रोजगार के दृष्टिगत सही है हमें खनन कार्य से कोई आपत्ति नहीं है।

18. श्री मनोज खेतवाल ग्राम करूली बागेश्वर– श्री खेतवाल द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी।

19. श्री राजू खेतवाल ग्राम करूली बागेश्वर– श्री खेतवाल द्वारा रोजगार के दृष्टिगत खनन परियोजना के स्थापित होने से सहमति व्यक्त की गई।

20. श्री बलवन्त सिंह ग्राम करूली बागेश्वर– श्री सिंह द्वारा स्पष्ट किया गया कि उनके द्वारा प्रस्तावक को खनन हेतु अनापत्ति दी गयी है। खनन उपरान्त जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई पट्टाधारक करेगा एवं खनन उपरान्त हमें खेत बनाकर देंगे तो हमें खनन से कोई आपत्ति नहीं है।

21. श्री अशोक खेतवाल ग्राम करूली बागेश्वर– श्री अशोक खेतवाल द्वारा कहा गया कि खनन से गांव को खतरा होगा। जिस कारण खनन से हमें आपत्ति है।

22. श्री चन्दन सिंह खेतवाल ग्राम करूली बागेश्वर– श्री खेतवाल द्वारा कहा गया कि प्रस्तावि लीज क्षेत्रफल के खेत में उनका कब्जा चला आ रहा है तो क्या अनापत्ति खतौनी में दर्ज भूमिधर के नाम से लिया जायेगा।

23. श्री भूपेन्द्र सिंह खेतवाल ग्राम करूली बागेश्वर– श्री खेतवाल द्वारा कहा गया कि जिन भूमिधरों द्वारा परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में अनापत्ति दी गयी है परन्तु उनके द्वारा वर्तमान में खनन हेतु आपत्ति की जा रही है वह लोग प्रस्तावक को सम्पूर्ण हर्जाना देना सुनिश्चित करें। हमें परियोजना के स्थापित होने से कोई आपत्ति नहीं है।

24. श्री हरीश चन्द्र जोशी (परियोजना प्रस्तावक)– श्री जोशी द्वारा प्रस्तावित परियोजना से क्षेत्र की बेरोजगारी दूर होगी। किसी प्रकार का विनाश नहीं होगा। भूमिधरों से 60 प्रतिशत अनापित्त वैधानिक रूप से ली गयी है अनापत्ति फर्जी रूप से नहीं ली गयी है। प्रस्तावित परियोजना से क्षेत्र की सभी समस्याओं अथवा मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण किया जायेगा। चैकडामों का निर्माण किया जायेगा। परियोजना क्षेत्र में संसाधनों से विद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया जायेगा। क्षेत्रान्तर्गत कई पट्टाधारक क्षेत्र से बाहर के हैं जो अपने उद्योग चला रहे हैं। प्रस्तावक एक स्थानीय व्यक्ति है जो ग्रामीणों की हर छोटी से छोटी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के लिए तत्पर रहेंगे। ग्रामीणों को उनकी कार्य कुशलता के आधार पर परियोजना के माध्यक से रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे। प्रस्तावक द्वारा गांव का हरसम्भव विकास किया जायेगा।

क्रमशः–5

प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि क्षेत्र में खनन के कई प्रस्ताव चल रहे हैं इसलिए ग्रामीणों द्वारा बारम्बार कतिपय लोगों को अपनी भूमि में खनन कार्य हेतु अनापत्ति दी गयी है। इसलिए कुछ लोगों में भ्रम है कि उनके द्वारा किस गांव के लिए अनापत्ति दी गयी है। प्रस्तावक द्वारा वांछित अनापत्ति प्राप्त की गई है। अनापत्ति के संबंध में उपस्थित विभिन्न लोगों से सहमति की जानकारी प्राप्त की गई।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया प्राप्त सुझाव, आपत्तियों का सक्षम स्तर पर समाधान किया जायेगा। उसके उपरान्त ही प्रस्तावित खनन परियोजना आगे बढ़ पायेगी तथा ग्रामीणों की सहमति के उपरान्त खनन कार्य किया जायेगा।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की जनसुनवाईयों में इस प्रकार का विरोधाभास नहीं था। प्रस्तावक ग्रामीणों को विश्वास में लेकर प्राप्त सुझावों पर अध्ययन कर आगे बढेंगे।

अन्य सुझाव/टिप्पणियॉ प्राप्त न होने पर परियोजना प्रस्तावक एवं उपस्थित सभी कार्मिकों एवं क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति दर्ज पंजिका की गयी।

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी।

(चन्द्र सिंह इमलाल),
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।